कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)
पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण–पत्र
REGISTRATION-CUM-MEMBERSHIP CERTIFICATE

मैं / M/s. **SOUTH STAR EXPORTS**
1/450-A,JOHN THOMAS STREET, MEGNANAPURAM Contact No: 919442094037
Megnanapuram
Tamil Nadu
628210

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह निर्यातक निम्नलिखित विवरणों के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में पंजीकृत है :
This is to certify that the firm is registered with the Agricultural And Processed Food Products Export Development Authority, as per the following particulars :

1) उत्पाद जिसके लिए पंजीकृत है (उत्पादों का विवरण पीछे दिया गया है)/Product for which registered (Products details given overleaf): **0101,0102,0103,0201,0202,0203,0204,0205,0206,0301,0302,0303,0304,0404,0407,0501,0502,0503 ,0504,0505,0507,0601,0602,0603,0604,**
2) आई.ई. कोड / IECODE: **3512008046**
3) स्थापना तिथि / Date of establishment: **10/29/2012 12:00:00 AM**
4) पंजीकरण संख्या / Registration No.: **216102**
5) उत्पादक निर्यातक/व्यापारी निर्यातक / Manufacturer Exporter /Merchant Exporter: **Merchant**
6) मालिक/भागीदारों/ निदेशकों के नाम / Name(s) of Proprietor/Partner (s)/Director(s): **VIJAYAKUMAR**

यह प्रमाण-पत्र एपीडा अधिनियम 1985 (1986 का अधिनियम संख्यांक 2) में निर्धारित शर्तों के अधीन जारी किया गया है।
This certificate is issued subject to the conditions laid down in APEDA ACT 1985 (No. 2 of 1986) of this Authority.

प्रमाण-पत्र मान्यता तिथि / This certificate is valid till : **22/03/2027**
पंजीकरण की तिथि / Date of Registration : **23/03/2022**

Digitally signed by SHOBANA KUMAR
Date: 2022.03.23 10:26:45 +05:30
Reason: RCMC Certificate
Location: APEDA CHENNAI

यह आर.सी.एम.सी इलैक्ट्रानिक रुप से जेनरेट किया गया है।
This RCMC is electronically generated

पंजीकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Registering Authority

शर्तें एवं निबंधने अगले पृष्ठ पर
Terms & Conditions are mentioned on the next page.

शर्तें एवं निबंधने
Terms & Conditions

1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता तिथि इस प्रमाण-पत्र में निर्धारित है।
 The validity date of Registration Certificate is as specified in the RCMC.
2. प्रत्येक निर्यातक को ऑनलाइन मासिक निर्यात विवरण (रिटर्न) भरना अनिवार्य है। यदि किसी माह में निर्यात नहीं किया गया हो, तो शून्य रिटर्न भरना अनिवार्य है। जो निर्यातक ऑनलाइन निर्यात रिटर्न (रिटर्न शून्य होने पर भी) भरने में असमर्थ होंगे, वे डिफॉल्टर निर्यातकों की सूची में शामिल होंगे और उनका पंजीकरण रद्द होने की संभावना होगी।
 Filling of online monthly export return is mandatory. In case of no export in any month, filling of nil return for the month is mandatory. The exporter who fails to file their online export return (even NIL return) shall be liable to fall in the list of defaulter exporters and may face de-registration.
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के पाँच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
 Renewal fees will be charged after completion of five years from the date of registration with APEDA.
4. पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् यदि फर्म के निदेशक/साझेदार/मालिक अथवा फर्म का कोई कार्यकलाप, एपीडा या संबंधी कार्यालय जैसे वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड इत्यादि के प्रतिकूल नोटिस में आने पर, इस पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।
 The registration may be cancelled if any Director/Partner/Proprietor or the activity of the firm comes to the adverse notice of APEDA or concerned Govt. Authorities including, Ministry of commerce, DGFT, Ministry of Finance, Central Board of Excise & Customs etc.
5. पंजीकृत फर्म को दिया गया यूज़र आई.डी एवं पासवर्ड के द्वारा, अपनी फर्म का विवरण जैसे फोन/फैक्स/ई-मेल इत्यादि एपीडा वेबसाइट में अपडेट कर सकते हैं।
 Registered members may change the communication details of the company such as phone/fax/e-mail on APEDA website using the user ID & password provided to them.
6. पंजीकृत फर्म से संबंधित नया पता/नई शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय अतिरिक्त कार्यालय/ कारखाना इत्यादि में संशोधन हेतु संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
 For change in the communication address/addition of branches/factories, copy of amended IE Code is required to be submitted with the online application for update.
7. पंजीकृत फर्म के निदेशकों में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस संशोधन हेतु फार्म नं. 32 की प्रतिलिपि संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
 For change of director(s) of the company, copy of resolution passed on Form 32 by the members of the company along with amended copy of IE code is required to be submitted with the online application for update.
8. पंजीकृत फर्म के संविधान में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस परिवर्तन को निगमित करते हुए अंतर्नियम ज्ञापन की प्रतिलिपि संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी होगी। साझेदारों में परिवर्तन हेतु साझेदारी फर्म को नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित फर्म की साझेदारी विलेख संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
 For change in the constitution of the company, a copy of memorandum of Association & Articles of association incorporating the changes along with amended copy of IE code is required. Partnership firm should submit a copy of partnership deed attested by notary along with amended copy of IE code to be submitted with the online application for update.
9. कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से परिवर्तित नए नाम को निगमित करते हुए संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करें।
 For change in name of the company certificate of incorporation of new name from Registrar of companies along with amended copy of IE code.
10. यदि निर्यातक, उत्पादक निर्यातक है तो एपीडा अनुसूचित उत्पादों को अपने पंजीकरण में जोड़ने एवं हटाने के लिए निर्यातक को उत्पादन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
 For addition/deletion of APEDA's scheduled products, a copy of manufacturing proof is required in case of manufacturer exporter.
11. डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित राजपत्र अधिसूचना संख्या 6/2015-2020 (सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227580) दिनांक 14 जून, 2021 के अनुसार, एपीडा को काजू गिरी, तरल छिलकायुक्त काजू और कार्डानोल के लिए आरसीएमसी जारी करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण के रूप में नामित किया गया है।।
 As per Gazette Notification No. 6/2015-2020 (CG-DL-E-14062021-227580) dated 14th June, 2021 notified by DGFT, APEDA is designated as the agency authorized to issue RCMCs for Cashew Kernels, Cashewnut Shell Liquid and Kardanol.

एपीडा अनुसूचित उत्पाद
APEDA Scheduled Products

01 पुष्पकृषि एवं बीज / Floriculture & Seeds

01. पुष्पकृषि / Floriculture
02. सब्जियों के बीज / Vegetables seeds
03. जड़ी-बूटी एवं औषधीय पौधे / Herbal & Medicinal Plants

02 फल एवं सब्जियाँ / Fruits & Vegetables

01. ताज़े प्याज / Fresh Onions
02. अन्य ताज़ी सब्जियाँ / Others Fresh Vegetables
03. अखरोट / Walnut
04. ताज़े आम / Fresh Mangoes
05. ताज़े अंगूर / Fresh Grapes
06. अन्य ताजे फल / Others Fresh Fruits

03 प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ / Processed Fruits & Vegetables

01. सूखी एवं परिरक्षित सब्जियाँ / Dried & Preserved Vegetables
02. आम का गूदा / Mango Pulp
03. अचार एवं चटनी / Pickle & Chutney
04. अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ / Other Processed Fruits & Vegetables

06 अनाज / Cereals

01. गैर बासमती चावल / Non Basmati Rice
02. बासमती चावल / Basmati Rice
03. गेहूँ / Wheat

04 पशु उत्पाद / Animal Products

01. भैंस का मांस / Buffalo Meat
02. भेड़/बकरी का मांस / Sheep/ Goat Meat
03. कुक्कुट उत्पाद / Poultry Products
04. डेयरी उत्पाद / Dairy Products
05. पशु आँते / Animal Casings
06. प्रसंस्कृत मांस / Processed Meat
07. शहद / Honey
08. अन्य पशुओं के मांस

05 अन्य प्रसंस्कृत खाद्य / Other Processed Foods

01. मूंगफली / Groundnuts
02. ग्वार-गम / Guargum
03. गुड़ व कन्फेक्शरी / Jaggery & Confectionery
04. कोको उत्पाद / Cocoa Products
05. अनाज से निर्मित उत्पाद / Cereal Preparations
06. मादक एवं गैर मादक पेय / Alcoholic & Non Alch. Bev.
07. विविध निर्मित उत्पाद / Miscellaneous Preparations

04. अन्य मोटे अनाज / Other Coarse Grains